

कार्यालय जिलाधिकारी, कन्नौज

संख्या 450/डी0एल0आर0सी0/ भूमि पुनर्ग्रहण/पीएमएवाई-आवास/छिवरामऊ दिनांक 05.01.2019
आदेश

शहरी सं. 8-
पत्रावली सं. P.M.A.Y. कन्नौज
दिनांक 11/01/19

शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 3.6.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (राजस्व अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 3.6.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 1131/आठ-1-17-08विविधि/2016 दिनांक 11.07.2018, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 के पत्र संख्या 1252/आठ-4-2018-137एन/2013 दिनांक 17.07.2018 एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 1286/आठ-1-2018/08 विविधि/16 दिनांक 20.07.2018 एवं प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-1 के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या यू०ओ०-201/एक-1-2018-रा०-1 दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 में दिए गए निर्देशों के क्रम में तथा उप जिलाधिकारी, छिवरामऊ के पत्र संख्या 1048/रा०का०-पुन० प्रस्ताव/2018 दिनांक 27.07.18 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर मैं रवीन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, कन्नौज सलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 3.6.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र०	जिला	तहसील	परगना	गाव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि की प्रकृति/श्रेणी	विवरण:- (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कन्नौज	छिवरामऊ	छिवरामऊ	छिवरामऊ देहात	1704	0.304हे०	नवीन परती श्रेणी- 5-1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु ग्राम सभा भूमि का पुनर्ग्रहण निःशुल्क कर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन को दिया जाना

आज्ञा से-

(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
कन्नौज।

संख्या व दिनांक वेक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2-आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, अभियन्त्रण अनुभाग, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

- 3-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, लखनऊ।
4- आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
5- अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-18, 5सी-111 योजना संख्या-02 हसपुरम कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि वर्णित शासनादेशों का पालन करते हुए उपर्युक्त भूमि का प्रयोग उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
6- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, छिबरामऊ को इस निर्देश के साथ कि आदेश का अभिलेखों में अंकन कराकर कब्जा हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

34
05/11/19
(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
कन्नौज।